"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2013—कार्तिक 1, शक 1935

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2013

क्रमांक/08/चार/वि. स. चु./2013/5609.— भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का अधिसूचना संख्या क्रमांक-464/छ. ग.-वि. स./2013, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 आयोग द्वारा छ. ग. राज्य में प्रथम चरण के दौरान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़, 74-डोंगरगढ़ (अ. जा.), 75-राजनांदगांव, 76-डोंगरगांव एवं 77-खुज्जी में मतदान समय के संशोधन संबंधी सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 ——30 आश्विन, 1935 (शक)

अधिसूचना

464/छ. ग.-वि. स. /2013 .—— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 18 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 464/छ. ग.-वि. स./2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्;

उक्त सारणी के 73-खैरागढ़, 74-डोंगरगढ़ (अ. जा.), 75-राजनांदगांव, 76-डोंगरगांव और 77-खुज्जी के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (1)	मतदान का समय (2)
73-खैरागढ़	प्रात: 8.00 से सायं 5.00 बजे तक
74-डोंगरगढ़ (अ. जा.)	प्रात: 8.00 से सायं 5.00 बजे तक
75-राजनांदगांव	प्रात: 8.00 से सायं 5.00 बजे तक
76-डोंगरगांव	प्रात: 8.00 से सायं 5.00 बजे तक
77-खुज्जी	प्रात: 8.00 से सायं 5.00 बजे तक

आदेश से,

हस्ता./-
(आर. के. श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 22nd October, 2013 ——30 Asvina, 1935 (Saka)

NOTIFICATION

No. 464/CG-LA/2013 .— In exercise of powers conferred by section 56 of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India makes the following amendments in its notification number 464/CG-LA/2013 dated 18th October, 2013, namely ;

In the table appended to it, for the existing entries against 73-Khairagarh, 74-Dongargarh (SC), 75-Rajnandgaon, 76-Dongargaon and 77-Khujji the following entries shall be substituted-

Number and name of the Assembly Constituency (1)	Hours of Poll (2)
73-Khairagarh	8.00 AM to 5.00 PM
74-Dongargarh (SC)	8.00 AM to 5.00 PM
75-Rajnandgaon	8.00 AM to 5.00 PM
76-Dongargaon	8.00 AM to 5.00 PM
77-Khujji	8.00 AM to 5.00 PM

By Order,

Sd/-
(R. K. Shrivastava)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.